कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद के आवास स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निष्प्रोज्य आवासों के मलबे की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 21.01.2026 को केन्द्रीय कक्ष, दस कक्षीय भवन जनपद न्यायालय, मुरादाबाद में सम्पादित की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.01.2026, दिन बुधवार को सांय 4:00 बजे नियत स्थान पर उपस्थित हो।

केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, मुरादाबाद से नीलामी संबंधित अन्य सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के राजकीय आवास स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निष्प्रोज्य आवासों की नीलामी की शर्तें, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

1. नीलामी में शामिल होने के लिए न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत नकद नीलामी समिति के पास जमा कराना होगा अन्यथा की स्थिति में नीलामी में प्रतिभाग करने नहीं दिया जायेगा।
2. नीलामी धनराशि की शेष 90 प्रतिशत धनराशि नीलामी पूर्ण होने के दिन से 7 दिवस के अन्दर नीलामी समिति के पास जमा नहीं करायी जाती है, तो इस स्थिति में आपकी नीलामी स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आपकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. नीलामी व ध्वस्तिकरण के समय यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि जनपद न्यायाधीश आवास चाहरदीवारी विहीन नहीं होगा। यदि इसके अतिरिक्त ध्वस्तिकरण के दौरान किसी अन्य भवन/ वस्तु को क्षति पहुँचती है उसे सही कराने की जिम्मेदारी संबंधित बोलीदाता/ ठेकेदार की होगी।
4. नीलामी से पूर्व नीलामी बोलीदाता को अपना एक पहचान पत्र/ आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
5. ध्वस्तिकरण की अनुमति मिलने के उपरान्त 60 दिन के अन्दर मलवा जनपद न्यायाधीश आवासीय परिसर से हटाना होगा और उक्त स्थान को समतल करके देना होगा।
6. ध्वस्तिकरण उपरान्त उक्त स्थान को समतल करने हेतु जिस बोलीदाता/ ठेकेदार द्वारा निष्प्रोज्य आवासों की नीलामी छुड़ाई जाती है तो छुड़ाई गयी धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। उक्त स्थान का समतलीकरण करने के उपरान्त आपको जमानत 10 प्रतिशत की धनराशि वापस कर दी जायेगी, अगर आपके द्वारा उक्त स्थान का समतलीकरण नहीं कराया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त करते हुए उक्त स्थान का समतलीकरण करा दिया जायेगा।
7. निष्प्रोज्य आवासों का ध्वस्तिकरण करते हुए ठेकेदार/ बोलीदाता के किसी भी श्रमिक के साथ कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ बोलीदाता की होगी, संबंधित नीलामी समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार नीलामी छुड़ाने के उपरान्त बोलीदाता द्वारा नीलामी कैंसिल करायी जाती है तो उसकी धरोहर जब्त कर ली जायेगी।
9. बोली का अन्तर प्रति बोली 500 रु0 रहेगा, 500 रू0 से कम की बोली स्वीकार नहीं होगी।

10. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी तथा नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद को होगा।

11. माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

12. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, मुरादाबाद का होगा।

13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में निष्प्रोज्य आवासों की नीलामी को रद्द समझा जायेगा।

दिनांक: 12.01.2026

(कृष्ण कुमार सिंह II)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0 02, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिला सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को G.O No. 562/19-2-2007-1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ उ0प्र0 को G.O No. 562/19-2-2007-1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. जनपद न्यायालय, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. समस्त बार एसोसिएशन, मुरादाबाद।
6. कैंद्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराये जाने हेतु।
7. कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक छायाप्रति माननीय जनपद न्यायायल की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जायें।
8. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद, को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक छायाप्रति इस आश्य से प्रेषित की जाए कि उक्त कार्यालय से एक प्रतिनिधि नीलामी के दिवस दिनांक 21.01.2026 को सांय 04.00 बजे नीलामी की कार्यवाही में उपस्थित हो सके।

(कृष्ण कुमार सिंह II)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0 02, मुरादाबाद।